

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -2057 / 2014 / जोधपुर

मैसर्स भीखाराम देवाराम कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जाम्बा, जोधपुर

.....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एवं लिजिंग टेक्स, जोधपुर

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पी.एम. चौपड़ा

अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी.पी. ओझा

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 16.09.2016

निर्णय


1. उक्त अपीलें अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, जोधपुर-प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा गया है) के अपील सं. 15/ आरवैट/जेयूई/2014-15 में पारित किये गये आदेश दिनांक 10.10.2014 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 82 के तहत प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी संविदा कार्य का ठेकेदार है एवं आलौच्य अवधि में समस्त संविदा कार्य मुक्ति शुल्क अधीन किया गया है। अतः नियम 19(4) के तहत वार्षिक विवरण पत्र VAT-11 प्रस्तुत के लिए पात्र एवं दायी है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वार्षिक विवरण पत्र में VAT-10 विभागीय वेबसाईट पर शून्य बिक्री का अपलोड किया तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सम्मन जारी करने पर अपीलार्थी ने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष वार्षिक विवरण प्रपत्र VAT-11 प्रस्तुत किया। जो विलम्ब से प्रस्तुत करने से कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.11.2013 में विलम्ब शुल्क रुपये 5,000/- अभिनिर्धारित किया गया। उक्त आदेश की अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 10.10.2014 द्वारा पुष्टि की गई। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।
3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह कथन रहा है कि अपीलार्थी ठेकेदारी का संविदा कार्य करता है। अपीलार्थी मासिक करदाता नहीं है तथा समस्त देयकर टीडीएस के रूप में जमा करता है। कर निर्धारण धारा 23 के आधार पर अपीलार्थी का कर निर्धारित किया गया है, जिसमें समस्त विवरण पत्र मय देयकर ब्याज

लगातार.....2

Amrinder
16/09/16


विलम्ब शुल्क जमा कर प्रस्तुत किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा VAT-10A विभागीय वेबपोर्टल पर समयावधि में अपलोड कर दी गई तथा संशोधित नहीं किये जाने पर मेन्यूअली VAT-10 संशोधित पेश किया। अपीलार्थी द्वारा VAT-11 का प्रस्तुत करने के दायित्व होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 22.11.2013 हेतु जारी सम्मन की पालना में दिनांक 19.11.2013 को मेन्यूअली VAT-11 प्रस्तुत किया। जिसे स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह आदेश पारित किया।

4. अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि वेट अधिनियम की धारा 21 व नियम 19ए को उद्धृत कर वेट अधिनियम में विलम्ब शुल्क को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। साथ ही नियम 49 व 50 के अनुसरण में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने उक्त तर्कों के परिपेक्ष में अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
5. राजस्व की ओर से उपस्थिति उप राजकीय अभिभाषक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी का समस्त कार्य ई.सी. में किये जाने के कारण VAT-11 प्रस्तुत करने का दायित्व अपीलार्थी का होता है जो उसने पेश नहीं किया। इस संबंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 22.11.2013 हेतु अपीलार्थी के विरुद्ध एक सम्मन जारी किया जिसके प्रत्युत्तर में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 19.11.2013 का वार्षिक विवरण पत्र VAT-11 मेन्यूअली देरी से प्रस्तुत किया गया। इस लिये विलम्ब शुल्क का आरोपण विधिक एवं न्याय संगत है। अतः अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गई। अपने उक्त तर्कों के परिपेक्ष में विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा वर्तमान अपील को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।
6. उभयपक्षों की बहस सुनी गई। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस व पत्रावली का अवलोकन एवं उद्धृत न्यायिक दृष्टांतों का अध्ययन करने पर पाया गया कि अपीलार्थी का टीडीएस काटे जाने के कारण अपीलार्थी मासिक कर दायित्व नहीं होना अधिकृत प्रतिनिधि ने उल्लेखित किया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा त्रैमासिक कर दायित्व के आधार पर वार्षिक विवरण पत्र VAT-11 की देरी के लिये नियम 19ए के अनुसार विलम्ब शुल्क अभिनिर्धारित किया है। अपीलार्थी फर्म द्वारा आलौच्य अवधि में समस्त संविदा कार्य मुक्ति शुल्क के अधीन किये गए हैं। राजस्थान वेट नियम, 2006 के नियम 19(4) के अनुसार वार्षिक विवरण पत्र VAT-11 प्रस्तुत करने के लिए पात्र व दायी है। राजस्थान वेट अधिनियम की


16/09/16


धारा 21, नियम 19 पंजीकृत व्यवसाई के लिये बाध्यकारी (Mandatory) प्रावधान है कि वह अपने देय कर, ब्याज दायित्वों का अभिनिर्धारण कर विवरण आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा।

7. अपीलार्थी द्वारा वार्षिक विवरण प्रपत्र VAT-11 प्रस्तुत नहीं करने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस दिया गया जिसके जवाब के साथ विवरण प्रपत्र वेट 11 प्रस्तुत किया गया। इस प्रपत्र के विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब शुल्क अधिरोपित किया गया। यद्यपि वर्तमान प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विलम्ब शुल्क अधिरोपित करने से पूर्व अपीलार्थी/व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया। जबकि नियम 48 के अनुसार शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व व्यवहारी को सुनना आज्ञापक है। लेकिन वर्तमान प्रकरण में प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने पर नियम 19ए के अनुसार शुल्क अधिरोपित किया गया है न कि शास्ति। अतः अपीलार्थी द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करने की आपत्ति सारहीन है।
8. कर निर्धारण वर्ष 2011-12 की अवधि के समस्त विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की अवधि अधिसूचना क्रमांक F.16(375)TAX/CCT/2006/Pt-1/1995/Dated 06-03-2013 द्वारा 30.04.2013 तक बढ़ाई गई थी। यद्यपि इसके पश्चात् विवरण प्रपत्र VAT-10A को प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ा दी गई थी किन्तु उक्त अवधि की विवरण प्रपत्र VAT-11 को प्रस्तुत करने की दिनांक 30.04.2013 थी। अपीलार्थी द्वारा विवरण प्रपत्र VAT-11 प्रस्तुत नहीं करने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने पर अपीलार्थी द्वारा VAT-11 वार्षिक विवरण प्रपत्र कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 19.11.2013 के पत्र के साथ हार्डकॉपी में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार वार्षिक विवरण प्रपत्र VAT-11 निर्धारित अवधि दिनांक 30.04.2013 के पश्चात् प्रस्तुत किया गया, लेकिन वह भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस दिये जाने के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार वार्षिक विवरण प्रपत्र VAT-11 निर्विवादित रूप से विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है।
9. यह निर्विवादित है कि अपीलार्थी व्यवहारी मासिक करदाता की श्रेणी में नहीं आता है, अतः उक्त प्रावधानों अनुसार अधिकतम रूपये 5,000/- विलम्ब शुल्क आरोपणीय है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2011-2012 वार्षिक विवरण प्रपत्र VAT-11 को प्रस्तुत नहीं करने के कारण नियम 19A के तहत 5000/- रूपये विलम्ब शुल्क अधिरोपित करने में कर निर्धारण अधिकारी का आदेश दिनांक 27.11.2013 विधिसम्मत है। जिसकी अपीलीय अधिकारी ने अपने


16/09/16

आदेश दिनांक 10.10.2014 द्वारा पुष्टि किये जाने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

10. अतः अपीलीय आदेश दिनांक 10.10.2014 की पुष्टि की जाती है।
11. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।
12. निर्णय सुनाया गया।


16/09/16
(राजीव चौधरी)
सदस्य